कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 470/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं **प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत** कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 28.12.2025

थाना: तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित एवं शातिर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के तहत आज दिनांक- 28.12.2025 को थाना तहबरपुर पुलिस को **बड़ी सफलता** प्राप्त हुई है। थाना अतरौलिया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त एक **शातिर अपराधी** है, जिसके विरुद्ध थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में **अपहरण, चोरी, नकबजनी तथा संगठित अपराध** से संबंधित कई गंभीर अभियोग पूर्व से दर्ज हैं।

दिनांक **12.12.2025 को समय करीब 09.55 बजे** थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा **ओहनी अंडरपास के पास नहर मोड़, बहद ग्राम मकदूमपुर** से अभियुक्त विजय कुमार पुत्र जगबन्धू, **निवासी:** ग्राम अचलीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, **उम्र:** लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1-विजय कुमार पुत्र जगबन्धू, **निवासी:** ग्राम अचलीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, **उम्र:** लगभग 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. **मु0अ0सं0 247/25** धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
2. **मु0अ0सं0 256/25** धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार एक **शातिर एवं आदतन अपराधी** है, जिसके विरुद्ध पूर्व से निम्न अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 85/13 धारा 363/366 भा0द0वि0, थाना अतरौलिया
2. मु0अ0सं0 173/24 धारा 457/380/411/413 भा0द0वि0, थाना अतरौलिया
3. मु0अ0सं0 208/24 धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना अतरौलिया
4. मु0अ0सं0 247/24 धारा 303/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना अतरौलिया
5. मु0अ0सं0 400/24 धारा 303/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना अतरौलिया
6. मु0अ0सं0 401/24 धारा 303/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना अतरौलिया

♂ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार — थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 राकेश कुमार — थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 आफताब आलम — थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस- विज्ञप्ति, दिनांक: 28.12.2025

थाना: गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, जेवरात (कीमत लगभग 02 लाख रूपयें) की बरामदगी के साथ एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस को **महत्वपूर्ण सफलता** प्राप्त हुई है। थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत चोरी के मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम द्वारा चोरी गए **कीमती जेवरात की बरामदगी** के साथ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

□♂□ पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **16.12.2025** को वादी मुकदमा **श्री पवन कुमार पाण्डेय पुत्र गौरी शंकर पाण्डेय**, निवासी ग्राम भोपालपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई-एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
वादी उ0प्र0 सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वादी के **ताला बंद आवास** से अज्ञात चोरों द्वारा **कागजात, लगभग ₹2,00,000 नकद तथा जेवरात** चोरी कर लिए गए थे।
इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0 365/25 धारा 305(a) बीएनएस** बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उ0नि0 **योगेश कुमार सरोज** द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान सुरागरसी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

□ गिरफ्तारी का विवरण

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डा0 अनिल कुमार** के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष **श्री अखिलेश कुमार सिंह** के नेतृत्व में दिनांक **28.12.2025** को थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर **रानीपुर रजमो मोड़** से समय **12.15 बजे** अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए **जेवरात बरामद** किए गए।

□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नाम: राजेश चौहान पुत्र परविन्द चौहान, **निवासी:** ग्राम अहियाई, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, **उम्र:** 24 वर्ष

□ पंजीकृत अभियोग

1. **मु0अ0सं0 365/25** धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 112/24 धारा 34/380/411/413/414/457 भा0द0वि0 थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 365/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ बरामदगी का विवरण (कीमत लगभग 02 लाख रूपयें)

- 01 अदद **मंगलसूत्र** (पीली धातु)
- 02 अदद **झुमका** (पीली धातु)
- 01 अदद **अंगूठी** (पीली धातु)

□♂□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 **योगेश कुमार सरोज**, थाना गम्भीरपुर
- का0 **अमित कुमार**, थाना गम्भीरपुर

□ आजमगढ़ पुलिस का संदेश

जनपद में चोरी, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही निरंतर जारी है। कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 28.12.2025

थाना: गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

विद्यालय से हुई चोरी का सफल अनावरण; चोरी के लैपटॉप की बरामदगी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के प्रभावी अनावरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना गम्भीरपुर पुलिस को **महत्वपूर्ण सफलता** प्राप्त हुई है। विद्यालय में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम द्वारा **एक अदद चोरी का लैपटॉप बरामद** कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

□ पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **23.12.2025** को वादी मुकदमा **श्री रामू चौहान पुत्र श्रवण कुमार चौहान**, प्रबंधक *श्रवण इंटर कॉलेज*, ग्राम गंगापुर काजी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

वादी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक **19/20.12.2025 की रात्रि 10.00 बजे से 03.00 बजे** के मध्य अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के कार्यालय का ताला व अलमारी तोड़कर **नकदी, दो लैपटॉप (Acer, Dell), जियो वाई-फाई सेट-टॉप बॉक्स को क्षतिग्रस्त कर**, साथ ही विद्यालय के **महत्वपूर्ण मूल अभिलेख (अंकपत्र, प्रमाणपत्र, मान्यता पत्र आदि)** चोरी कर लिए गए।

उक्त सूचना के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0 379/25 धारा 305/331/324 बीएनएस** बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 **संजय कुमार सिंह** द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान सुरागरसी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए तथा **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

□ गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष **अखिलेश कुमार सिंह** के नेतृत्व में दिनांक **28.12.2025** को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे का सफल अनावरण किया गया। मुखबिर की सटीक सूचना पर **दयालपुर मोड़** से समय **09.45 बजे प्रात**: अभियुक्त **तारकेश चौहान पुत्र रुदल चौहान**, निवासी ग्राम उत्तरगावां, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को **एक अदद चोरी के लैपटॉप (Acer)** के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संलिप्त अन्य अभियुक्तों—

1. सूरज पुत्र खरपत्तू चौहान, निवासी ग्राम उत्तरगावां
2. एक अन्य अज्ञात अभियुक्त, निवासी ग्राम दयालपुर के नाम भी प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- तारकेश चौहान पुत्र रुदल चौहान **निवासी:** ग्राम उत्तरगावां, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ पंजीकृत अभियोग

1. **मु0अ0सं0 379/25** धारा 305/331/324/317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ बरामदगी का विवरण

- 01 अदद **चोरी का लैपटॉप (Acer)**

□♂□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 **संजय कुमार सिंह**, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 **विनोद यादव**, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 **धीरज सिंह**, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़